रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/95 REGD. NO. D.L.—33004/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 1995/फाल्गुन 10, 1916
No. 123] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 1995/PHALGUNA 10, 1916

कृषि मंत्रालय

(पशु पालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1995

का.आ. 132(अ).—राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 (1987 का 37) की धारा 9 के साथ पठित धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार कृषि मंत्रालय में सचिव, पशु पालन एवं डेयरी विभाग को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल में एतद्द्वारा निदेशक नियुक्त करती है और इस प्रयोजनार्थ भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (पशु पालन एवं डेयरी विभाग) के का.आ. 210(ङ) दिनांक 4 मार्च, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:

उपर्युक्त अधिसूचना में "धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (क) तथा (ख) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनयन" शीर्षक के अन्तर्गत क्रम सं. 2 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित की जायेंगी नामत :

1	2	3	4
"2.	सचिव, पशु पालन एवं डेयरी, कृषि मंत्रालय, पशु पालन एवं डेयरी विभाग, नई दिल्ली	निदेशक"	—

[फा. सं. 17-1/93(एल.डी.-1) प्रशा. 4(भाग)]

बाबू जैकब, संयुक्त सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 210(ङ) दिनांक 4-3-1994 के तहत प्रकाशित की गई एवं तदुपरान्त का.आ. 492(ङ) दिनांक 1-7-1994 के तहत संशोधित की गई।

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1995

S.O. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 read with section 9 of the National Dairy Development Board Act, 1987 (37 of 1987), the Central Government hereby nominates the Secretary, Animal Husbandry and Dairying in the Ministry of Agriculture as Director on the Board of Directors of the National Dairy Development Board and for that purpose makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Animal Husbandry and Dairying) number S.O. 210(E), dated the 4th March, 1994 namely :—

In the said notification, under the heading "A Nomination by the Central Government under clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 8," for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4
"2.	Secretary, Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry and Dairying, NEW DELHI.	Director."	

[F. No. 17-1/93 (LD.I)-Admn. IV (Part)]
BABU JACOB, Jt. Secy.

NOTE : The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 210(E), dated 4-3-94 and subsequently amended vide S.O. 492(E), dated 1-7-94.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995